

**FIRST INFORMATION REPORT**  
**(Under Section 173 B.N.S.S)**

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
**(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)**

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025  
**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0009 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**  
06/03/2025 17:45 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
- 1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**  
**Time Period (समय अवधि):** **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**
- (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** **Time (समय):** 17:45 hrs  
06/03/2025
- (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):**  
06/03/2025 17:45 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 90 Km **Beat No. (बीट सं.):**  
(s)

(b) **Address (पता):** थाना सिविल लाईन कैथल, कैथन

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

**District (State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** प्रदीप कुमार

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** निरंजन

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1992

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की दिनांक):**

**Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गली न 4, डिफेंस कालोनी, करनाल रोड, कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव मानस, कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9991118163

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	स.उ.नि. जगभान			1. थना सिविल लाईन कैथल,कैथल KAITHAL,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल लेख इस प्रकार से है:-

सेवा मे,

इन्सपैक्टर

एन्टी करप्शन ब्यूरो कैथल।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं प्रदीप कुमार s/o श्री निरंजन वासी गांव मानस जिला कैथल अब करनाल रोड डिफेंस कालोनी

गली न. 10 कैथल स्थाई निवासी हूं। मेरे खिलाफ पुलिस थाना सिविल लाईन कैथल मे मुकदमा न. 493 दिनांक 15.12.2024 धाराधीन 115,117(2),3(5),316(2),351(3),89 पुलिस थाना सिविल लाईन कैथल मे दर्ज जिसमे मैं व मेरी माता जी श्रीमति राजबाला व मेरी बहन सुमिता व मेरी बहन के पति मेरे जीजा जी, विणेन्द्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज जिसमे शिकायतकर्ता श्रीमति निर्मल नामक औरत ने करवा रखा है। मेरे कैस का आई.ओ. जगभान ASI है जो मेरे से रिश्त की रुपये की मांग कर रहा है मेरे पास दिनांक 5/2/25 की रात को करीब समय 8.30 PM पर मोबाईल न. 8685842923 से मेरे मोबाईल न. 9991118163 पर फोन आया और मुझे मेरे घरवाले का व मेरी गिरफ्तारी का डर भय दिखाया और मुझे अगले दिन दिनांक 6/2/25 को DSP साहब के सामने पेश करने के लिये कहा। फिर उसके बाद दिनांक 6/2/25 को करीब समय 11:00 AM पर फोन आया और मुझे कैथल कोर्ट मे गेट न. 2 पर बुलाया। जिस पर मैं जगभान ASI के कहने पर कोर्ट मे गेट न. 2 पर जाकर मिला फिर उसके बाद मेरे को DSP बीरभान से उसके आफिस मिलाया। जिस पर DSP साहब ने कहा कि आप अपने केस के I.O जगभान ASI से सम्पर्क रखे और आपके परिवार को निकाल देगे। उसके मे DSP साहब के ओफिस से बहार आ गया। फिर DSP साहब के कार्यलय के बाहर आने के बाद मुझे जगभान ASI ने बताया कि मेरी DSP साहब से बात हो गई है आपने पच्चास हजार रुपये देने है फिर मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नही है मैं पांच या दस हजार रुपये कम करके चालीस हजार रुपये दे सकता हूं फिर जगभान ASI ने कहा की ठीक है आप चालीस हजार रुपये जल्दी से ले आओ। मेरी बात DSP साहब से हो चुकी है। हम आपकी गिरफ्तारी डालकर आपके सारे परिवार के सदस्यों को केस से नाम निकाल देगे। जगभान ASI मुझे मेरे व मेरे परिवार को गिरफ्तारी का भय दिखाकार मेरे से रिश्त की राशि के चालीस हजार रुपये मांग रहा है। यदि मैं चालीस हजार रिश्त के पैसे जगभान ASI को नही दुगा तो वह मेरे परिवार को भी इस मुकदमे मे जबरदस्ती गिरफ्तारी कर लेगा। मैं जगभान ASI को रिश्त के 40000/- रुपये नही देना चाहता हूं। आज मुझे जगभान ASI ने रिश्त के 40000/- रुपये लेकर बुलाया है। मैं जगभान ASI को रगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं मैंने मेरी व जगभान ASI की रिश्त मागने बारे बातचीत की रिकार्डिंग की हुई है जो मैं आपको बाद मे पेश कर दूंगा। जगभान ASI के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

प्रार्थी

-sd- Pardeep

प्रदीप पुत्र श्री निरंजन

वासी कैथल।

मो.न. 9991118163

दिनांक 12.02.2025

कार्यवाही पुलिस:- दिनांक 12.02.2025 को मन निरीक्षक मय स्टाफ हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल था कि प्रदीप पुत्र श्री निरंजन वासी गांव मानस तहसील व जिला कैथल अब करनाल रोड डिफेंस कॉलोनी गली न. 10 कैथल ने हाजिर कार्यालय आकर उपरोक्त हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की थी, जिसमें ASI जगभान द्वारा शिकायतकर्ता व उसकी माता राजबाला, उसकी बहन सुमिता, उसके बहन के पति बिजेन्द्र सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमा न. 493 दिनांक 15.12.2024 धाराधीन 115,117(2),3(5),316(2), 351(3), 89 पुलिस थाना सिविल लाईन कैथल में उसकी माता राजबाला, उसकी बहन सुमिता, उसके बहन के पति बिजेन्द्र सिंह का मुकदमा उपरोक्त में नाम निकालने की एवज में उससे 40000/- रुपये की रिश्त की मांग कर रहा है। जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भ.नि.ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार का फोन करवाया गया तो ASI जगभान उपरोक्त ने व्यस्त होने बारे कह कर बाद में मिलने के लिये बोल दिया। जो अगले दिन दिनांक 13.02.2025 को शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार से रेड करवाने बारे सम्पर्क किया गया, जिस पर उसने बतलाया कि उसकी माता जी को बीमार होने के कारण सिग्नस अस्पताल कैथल में दाखिल करवाया हुआ है, जिसका आपरेशन हुआ है। वह उसकी माता जी की अस्पताल से छुट्टी के बाद आप से सम्पर्क करके रेड करवा दूंगा। इसके बाद शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार को उसके फोन नम्बर 99911-18163 पर बार-बार सम्पर्क किया गया, परन्तु उसका फोन बंद आया। जिस पर मुखबर खास को शिकायतकर्ता प्रदीप के बारे में पता करने बारे कहा तो उसने दिनांक 25.02.2025 को हाजिर कार्यालय उपकेन्द्र कैथल में आकर बतलाया कि शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार को दिनांक 19.02.2025 को पुलिस द्वारा मुकदमा न. 493 दिनांक 15.12.2024 धाराधीन 115,117(2),3(5),316(2), 351(3), 89 पुलिस थाना सिविल लाईन कैथल में गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायतकर्ता के

उपरोक्त मुकदमा में गिरफ्तार होने के कारण रेड की कार्यवाही की संभावना न होने की वजह से स.उ.नि. जगभान, पुलिस थाना सिविल लाईन कैथल के खिलाफ सूत्र जुर्म जेर धारा 7 PC Act. 1988 का अभियोग अंकित करने बारे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 158 दिनांक 25.02.2025 के अनुसार स्वीकृति लेने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के पत्र क्रमांक 707 दिनांक 27.02.2025 अनुसार स्वीकृति हेतु कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (हरियाणा) पंचकुला को अनुरोध किया गया, जो कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (हरियाणा) पंचकुला के पत्र क्रमांक 3746/I-1/ACB (H) Panchkula दिनांक 05.03.2025 के अनुसार व कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला के दिनांक 06.03.2025 के अनुसार धारा 7 PC Act. 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने बारे आदेश प्राप्त हुए हैं, जिस पर यह लेख तैयार करके अभियोग पंजीकृत करवाने के लिए स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87 के द्वारा थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला में स.उ.नि. जगभान पुलिस थाना सिविल लाईन कैथल के विरुद्ध धारा 7 PC Act. 1988 के तहत भेजा जा रहा है। लेख पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके अभियोग की फाईल स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87 उपरोक्त के माध्यम से आगामी अनुसंधान के लिए भेजी जाए तथा अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जाए। मन निरीक्षक उपरोक्त अभियोग के अनुसंधान कार्य में व्यस्त होता हूँ।

-sd- Mohinder Singh

(मोहिन्द्र सिंह)

निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

उपकेन्द्र कैथल।

दिनांक 06.03.2025

समय 3.30 pm.

अज थाना :- इस समय एक टाईप शुदा लेख निरीक्षक मोहिन्द्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र कैथल बर दरखास्त प्रदीप कुमार s/o श्री निरंजन वासी गांव मानस जिला कैथल अब करनाल रोड डिफेंस कालोनी गली न. 10 कैथल बर खिलाफ स.उ.नि. जगभान पुलिस थाना सिविल लाईन कैथल बाबत शिकायतकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नाम मुकदमा न. 493 दिनांक 15.12.2024 धाराधीन 115,117(2),3(5),316(2), 351(3), 89 पुलिस थाना सिविल लाईन कैथल मे से निकालने बारे बाजूर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट-1988 का होना पाये जाने पर बादस्त स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87 के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 9 दिनांक 06.03.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट-1988 थाना भ0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ई-मेल के माध्यम से सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल भेजी जा रही है व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख आने वाले स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87 के आगामी अनुसंधान हेतु निजद अनुसंधानकर्ता भेजा जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। यह अभियोग निरीक्षक देवेन्द्र, थाना भ0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**  
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**
- (2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Mahender Rank (पद): I (Inspector) Singh**

No. (सं.): 322H to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)  
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण  
हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.  
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent  
of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
Is pox pitted: Yes						

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)